न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 28/2018

अपीलांट

कालूराम पुत्र हुकमाराम, जाति विश्नोई, निवासी सेवाडा, तहसील रानीवाडा, जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. हरीशचन्द्र पुत्र हुकमाराम, जाति विश्नोई, निवासी सेवाडा तहसील रानीवाडा, जिला जालोर
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा– रानीवाडा, जरिये प्रबन्धक, एस. बी. आई. रानीवाडा
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रानीवाडा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 06-04-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2013 बअनवान हरीशचन्द्र बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के सरहद मौजा सेवाडा, तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की सयुक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 179/1356 रकबा 6.42 हैक्टर आई हुई है उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ने आज से करीब 5 वर्ष पूर्व मौके पर बंटवाडा कर दिया था तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 अलग अलग आराजी में अपने रहवास बने हुए है उक्त आराजी के पडौस में वादी के पुत्र प्रकाशचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 01 की शामलाती संयुक्त आराजी नवीन खसरा नंबर 179/1385 रकबा 1.28 हैक्टर व खसरा नंबर 178 रकबा 2.00 हैक्टर स्थित है जिसमें वादी के पुत्र प्रकाशचन्द्र का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 01 को मौके पर हुये बंटवाडा करवाने का कहीं बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 बंटवाडा करवाने से आनाकानी करता है। तथा काश्त करने में बाधा पैदा करता है दिनांक 18.08.2013 को वादी पुनः बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को कहा तो वह नाराज हो गया व बंटवाडा करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में कोई उपचार नहीं होने से वादी द्वारा उक्त बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगणों की नोटिस भेजे गये। नोटिस तामिल होने पर प्रतिवादी संख्या 01 की और से अधिवक्ता हाजिर हुए। दिनांक 03.10.2017 को वादी हाजिर हुआ व प्रतिवादी बीमार होने से हाजिर नहीं हुआ। प्रतिवादी हाजिर नहीं होने से वादी को दावा स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में राजीनामें के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जबकि दोनो पक्षों में उक्त प्रकरण से संबंधित आपसी राजीनामा न तो न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था। न ही राजीनामा तस्दीक हुआ था। दिनांक 03.10.2017 प्रतिवादी कूलराम हाजिर नहीं था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने 27.06.2017 को प्रतिवादी कालूराम की ओर से उनके पुत्र प्रवीण को हाजिर बताकर दिनांक 03.10.2017 को गलत प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है। प्रतिवादी कालूराम के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में बताया कि प्रतिवादी के आने पर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से वाद स्वीकार उपरान्त प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील निर्णय व

डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के सरहद मौजा सेवाडा , तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की सयुक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 179/1356 रकबा 6.42 हैक्टर आई हुई है। उक्त आराजी में रेस्पोडेंट हरीशचन्द्र का 1/2 हिस्सा व अपीलार्थी कालूराम का 1/2 हिस्सा सामलाती खातेदारी का है जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हरीशचन्द्र एवं कालूराम पिसरान हुकमाराम जाति विश्नोई की सयुक्त व सामलाती खातेदारी के नाम दर्ज है उक्त विवादित आराजी का कई वर्ष पूर्व में मौके पर बटवाडा कर दिया गया था तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 अलग–अलग काश्त–काबिज है तथा अपने अपने रहवास बने हुए है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण में दिनांक 03.10.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार रानीवाड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत आदेशित किया गया, जिसकी पालना मे तहसीलदार ~~आहोर~~ रानीवाड़ा द्वारा पालना क्रंमाक/कोर्ट/2261 दिनांक–22.12.2017 को विभाजन प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 22.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते पूर्व मे हुए बंटवाडे एवं कब्जा–काश्त अनुसार विधिसम्मत प्राथमिक डिक्री जारी की है अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संबध में होने वाली समस्त प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान था, किन्तु वह जानबूझकर उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा प्रस्तुत विधिसम्मत मौका रिपोर्ट के आधार पर समस्त पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के सरहद मौजा सेवाडा, तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की सयुक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 179/1356 रकबा 6.42 हैक्टर आई हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, रानीवाड़ा द्वारा तैयार मौका फर्द पर अपीलांट द्वारा 'हस्ताक्षर करने से मना' करने से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के संबध में पूर्णतया जानकारी थी, साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उभयपक्षों के हक व हिस्सें को ध्यान में रखकर विधिसम्मत प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। एवं उनके अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया का पूर्णतया ज्ञान था। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने उक्त अपील में ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिससे जैर अपील निर्णय व डिक्री मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवाई का पूर्णतया अवसर देते हुए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं कब्जा–काश्त को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाण्ट का न्याय प्राप्ति उद्देश्य नहीं है, अपितु रेस्पोडेण्ट के निर्मित आवासीय मकान को हड़पना चाहता है इसलिए अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय को हथियार के रुप इस्तेमाल किया जा रहा है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते है। तथा सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में पर्चा मौका रिपोर्ट एवं नजरिये नक्शा अधीनस्थ न्यायालय के साथ–साथ अपीलीय निर्णय का भी अभिन्न अंग रहेगा।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर, रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2013 बअनवान हरीशचन्द्र बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2017 यथावत रखा जाता है। एवं इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ नयायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। तहसीलदार रानीवाड़ा, जालोर को निर्देश दिये जाते है कि 15 दिवस में निर्णयानुसार पालना करके इस न्यायालय को पालना से अवगत करावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
06/04/2021